

कार्यालय, मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ०प्र०, लखनऊ।
पत्रांक- 357211-सी- FP/UP/Road/145149/2021, लखनऊ, दिनांक: जून 09-2024

सेवा में,

उप वन महानिदेशक (केन्द्रीय),
भारत सरकार,
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
क्षेत्रीय कार्यालय, (मध्य क्षेत्र),
केन्द्रीय भवन, अलीगंज, लखनऊ।

विषय:- जनपद मथुरा में कोसीकलों के पास स्थित कोकिला वन शनिधाम परिक्रमा मार्ग (मथुरा-वृन्दावन विकास प्राधिकरण) मथुरा के द्वारा परिक्रमा मार्ग के निर्माण कार्य हेतु 2.0112 हे० आरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति के सम्बन्ध में। प्रस्ताव संख्या-(FP/UP/Road/145149/2021)

सन्दर्भ:- भारत सरकार का पत्रांक-8बी/यू०पी०/०६/२४१/२०२१/एफ०सी०/५९२, दि० २९.१२.२०२१

महोदय,

उपरोक्त सन्दर्भित पत्र के द्वारा विषयगत प्रकरण में सैद्धान्तिक स्वीकृति निर्गत की गई है। वन संरक्षक, आगरा वृत्त, आगरा ने अपने पत्रांक-3793/14-1 दिनांक 14.05.2024 द्वारा ऑनलाईन पोर्टल पर अपलोड किया गया है तथा प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा एन०पी०वी० एवं क्षतिपूरक वृक्षारोपण की धनराशि एड-हॉक कैम्पा में आनलाईन e-payment portal के माध्यम से ई-चालान द्वारा जमा किया गया है, जिसकी पुष्टि अपलोड है।

अतः उक्त पत्र की छायाप्रति सहित बिन्दुवार अनुपालन आख्या ऑनलाईन परिवेश पोर्टल पर अपलोड कर इस अनुरोध के साथ प्रेषित की जा रही है कि कृपया विषयांकित प्रकरण में आवश्यक अग्रेत्तर कार्यवाही करने की कृपा करें।

भवदीय,

18
(अनुपम गुप्ता)

प्रधान मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
उ०प्र०, लखनऊ।

संख्या- 357211-सी- FP/UP/Road/145149/2021, दिनांकित।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित अधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- वन संरक्षक, आगरा वृत्त, आगरा।
- 2- प्रभागीय निदेशक, सा०वा० प्रभाग, मथुरा।
- 3- अधिशासी, अभियन्ता, मथुरा-वृन्दावन विकास प्राधिकरण, मथुरा।

18
(अनुपम गुप्ता)

प्रधान मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
उ०प्र०, लखनऊ।

संख्या- 357211-सी- FP/UP/Road/145149/2021, दिनांकित।

प्रतिलिपि:- अपर मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग-2, लखनऊ को उपरोक्तानुसार सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

18
(अनुपम गुप्ता)

प्रधान मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
उ०प्र०, लखनऊ।

कार्यालय वन संरक्षक, आगरा वृत्त, आगरा।
पत्रांक 3793 /144, आगरा, दिनांक, 14 मई, 2024.

सेवा में

मुख्य वन संरक्षक, मोहन अधिकारी,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

विषय - जनपद मधुवा में कोसीकली के पास स्थित कोकिला वन शनिवाम परिक्रमा मार्ग (मधुवा-बुन्दालन विकास प्राधिकरण) मधुवा के द्वारा परिक्रमा मार्ग के निर्माण कार्य हेतु 2.0112 हेक्टेयर आवंटित वनभूमि के वैज्ञानिकी प्रयोग की अनुमति के सम्बन्ध में

सन्दर्भ - 1-भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ, लखनऊ की पत्र संख्या- 884/एफपी0/36/241/2021/एफपीसी0/592, दिनांक 29.12.2021 एवं आपके कार्यालय का पत्रांक-144-1018/एफपी0/गु0पी0/चौड/145149/2021, दिनांक 18.10.2023.

सारांश

सम्बन्धित विषयक प्रस्ताव की भारत सरकार के अनुमति पत्र द्वारा वैज्ञानिक स्वीकृति शर्तों प्रदान की गयी थी। वैज्ञानिक स्वीकृति के अनुपालन आरथ्य इस कार्यालय को एफके-5298/14-1, दिनांक 13.08.2023 के द्वारा पूर्व में प्रेषित की गयी थी। प्रेषित आरथ्य में संलग्न वन वननिरीक्षण (विज्ञान) भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, लखनऊ, लखनऊ की पत्र संख्या-980/कृपी0/08/241/2021/एफपीसी0/369, दिनांक 18.10.2023 के द्वारा लगाई गयी आरथ्य का लेखाकरण करने के उपरान्त वन विभाग अनुपालन आरथ्य पोर्टल पर अपलोड करके प्रभावी निदेशक, सामाजिक वनिकी प्रभाग, मधुवा के पत्रांक-3793/14-1 दिनांक 02.05.2024 (संलग्न है) द्वारा इस आरथ्य को लपक हुई है के आधार पर आरथ्य विन्यक्त है :-

1	The legal status of the land remain unchanged	विन्दु संख्या-1 के अनुपालन में बांरक विभाग अधिशासी अधिनियम, मधुवा-बुन्दालन विकास प्राधिकरण, मधुवा के द्वारा अनुपालन आरथ्य संलग्नक-1 के माध्यम से उपलब्ध करायी गयी है जो संलग्न है।
2	Forest land will be handedover only after required non forest land for the project is handedover by the user agency.	विन्दु संख्या-2 के अनुपालन में बांरक विभाग अधिशासी अधिनियम, मधुवा-बुन्दालन विकास प्राधिकरण, मधुवा के द्वारा अनुपालन आरथ्य संलग्नक-2 के माध्यम से उपलब्ध करायी गयी है जो संलग्न है।
3	Compensatory afforestation shall be taken up by the forest department in an area of 2.0112 ha Non forest land in Madaur Gram saray Gata no.2866 Village madaur taluqa Mahayan dist. Madaur at the cost of the user agency. As far as practical a mixture of local indigenous species will be planted and monoculture of species has to be avoided.	विन्दु संख्या-3 के अनुपालन में बांरक विभाग अधिशासी अधिनियम, मधुवा-बुन्दालन विकास प्राधिकरण, मधुवा के द्वारा अनुपालन आरथ्य संलग्नक-3 के माध्यम से उपलब्ध करायी गयी है जो संलग्न है।
4	The Non forest land proposed for CA shall be transferred and Notified in the name of Forest Department and Notified as RFPF prior to stage II approval, a copy of original notification declaring the non forest land under section 4 or section 29 of the Indian forest act 1927, or under the relevant section of the state forest Act as the case may be will submitted by the state government prior to stage II approval.	विन्दु संख्या-4 के अनुपालन में बांरक विभाग अधिशासी अधिनियम, मधुवा-बुन्दालन विकास प्राधिकरण, मधुवा के द्वारा अनुपालन आरथ्य संलग्नक-4 के माध्यम से उपलब्ध करायी गयी है जो संलग्न है।
5	The cost of compensatory afforestation in the prevailing wage rates as per revised compensatory afforestation scheme and the cost of survey, demarcation and erection of permanent pillars if required on the CA land shall be deposited in advance with the Forest Department by the project authority. The CA will be maintained for 10 years. The scheme may include appropriate provision for anticipated cost increase for works schedule for subsequent years.	विन्दु संख्या-5 के अनुपालन में बांरक विभाग अधिशासी अधिनियम, मधुवा-बुन्दालन विकास प्राधिकरण, मधुवा के द्वारा अनुपालन आरथ्य संलग्नक-5 के माध्यम से उपलब्ध करायी गयी है जो संलग्न है।
6	The State Government shall be charge the Net Present Value (NPV) for the 0.3045996 ha Forest area to be diverted under this proposal from the User Agency as per the orders of the Hon'ble Supreme Court of India dated 30.10.2002, 01.08.2003, 28.03.2006, 24.04.2008 and 09.05.2008 in IA No. 566 in WP (C) No. 703/1995 and as per the guidelines issued by the Ministry vide letters No. 3-2198-FC(Pt.II) dated 18.03.2011, as well vide letters No. 5-22306-FC dated 03.10.2006 and 5-35307-FC dated 05.02.2009. Revised amount of NPV as applicable as per order Dated 06.01.2022 and 19.01.2022 shall be deposited by user agency in the account	विन्दु संख्या-6 के अनुपालन में बांरक विभाग अधिशासी अधिनियम, मधुवा-बुन्दालन विकास प्राधिकरण, मधुवा के द्वारा अनुपालन आरथ्य संलग्नक-6 के माध्यम से उपलब्ध करायी गयी है जो संलग्न है।

7	Additional amount of the NPV of the diverted forest land, if any, becoming due after finalization of the same by the Hon'ble Supreme Court of India on receipt of the report from the Expert Committee, shall be charged by the State Government from the User Agency. The User Agency shall furnish an undertaking to this effect.	विन्दु संख्या-7 के अनुपालन में वाचक विभाग अधिशासी अभियन्ता, मधुरा-वृक्षारोप विकास प्राधिकरण, मधुरा के द्वारा अनुपालन आख्या संलग्नक-7 के माध्यम से उपलब्ध करायी गयी है जो संलग्न है।
8	The complete compliance of the FRA, 2006 shall be ensured by way of prescribed certificate from the concerned District Collector.	विन्दु संख्या-8 के अनुपालन में वाचक विभाग अधिशासी अभियन्ता, मधुरा-वृक्षारोप विकास प्राधिकरण, मधुरा के द्वारा अनुपालन आख्या संलग्नक-8 के माध्यम से उपलब्ध करायी गयी है जो संलग्न है।
9	Speed regulation signage will be erected along the road at regular intervals in the Protected Area/Forest Area.	विन्दु संख्या-9 के अनुपालन में वाचक विभाग अधिशासी अभियन्ता, मधुरा-वृक्षारोप विकास प्राधिकरण, मधुरा के द्वारा अनुपालन आख्या संलग्नक-9 के माध्यम से उपलब्ध करायी गयी है जो संलग्न है।
10	The user agency shall provide suitable Under/over pass in protected area/Forest Area as per recommendation of CWLW/BEWL/EAC/RE.	विन्दु संख्या-10 के अनुपालन में वाचक विभाग अधिशासी अभियन्ता, मधुरा-वृक्षारोप विकास प्राधिकरण, मधुरा के द्वारा अनुपालन आख्या संलग्नक-10 के माध्यम से उपलब्ध करायी गयी है जो संलग्न है।
11	The user agency shall obtain Environmental Clearance as per the provision of Environmental (Protection) Act 1986 if applicable.	विन्दु संख्या-11 के अनुपालन में वाचक विभाग अधिशासी अभियन्ता, मधुरा-वृक्षारोप विकास प्राधिकरण, मधुरा के द्वारा अनुपालन आख्या संलग्नक-11 के माध्यम से उपलब्ध करायी गयी है जो संलग्न है।
12	The layout plan of the proposal shall not be changed without prior approval of Central Government.	विन्दु संख्या-12 के अनुपालन में वाचक विभाग अधिशासी अभियन्ता, मधुरा-वृक्षारोप विकास प्राधिकरण, मधुरा के द्वारा अनुपालन आख्या संलग्नक-12 के माध्यम से उपलब्ध करायी गयी है जो संलग्न है।
13	No labour camp shall be established on the Forest land.	विन्दु संख्या-13 के अनुपालन में वाचक विभाग अधिशासी अभियन्ता, मधुरा-वृक्षारोप विकास प्राधिकरण, मधुरा के द्वारा अनुपालन आख्या संलग्नक-13 के माध्यम से उपलब्ध करायी गयी है जो संलग्न है।
14	Sufficient firewood, preferably the alternate fuel shall be provided by the user agency to the laborer after purchasing the same from the State Forest Department or the Forest development corporation or any other legal source of alternate fuel.	विन्दु संख्या-14 के अनुपालन में वाचक विभाग अधिशासी अभियन्ता, मधुरा-वृक्षारोप विकास प्राधिकरण, मधुरा के द्वारा अनुपालन आख्या संलग्नक-14 के माध्यम से उपलब्ध करायी गयी है जो संलग्न है।
15	The boundary of the diverted forest land shall be suitably demarcated on ground at the project cost, as per the directions of the concerned Divisional Forest Officer.	विन्दु संख्या-15 के अनुपालन में वाचक विभाग अधिशासी अभियन्ता, मधुरा-वृक्षारोप विकास प्राधिकरण, मधुरा के द्वारा अनुपालन आख्या संलग्नक-15 के माध्यम से उपलब्ध करायी गयी है जो संलग्न है।
16	No additional or new path will be constructed inside the forest area for transportation of construction material for execution of the project work.	विन्दु संख्या-16 के अनुपालन में वाचक विभाग अधिशासी अभियन्ता, मधुरा-वृक्षारोप विकास प्राधिकरण, मधुरा के द्वारा अनुपालन आख्या संलग्नक-16 के माध्यम से उपलब्ध करायी गयी है जो संलग्न है।
17	The period of diversion shall be co-terminus with period of lease to be granted in favor of user agency or the project life, whichever is less.	विन्दु संख्या-17 के अनुपालन में वाचक विभाग अधिशासी अभियन्ता, मधुरा-वृक्षारोप विकास प्राधिकरण, मधुरा के द्वारा अनुपालन आख्या संलग्नक-17 के माध्यम से उपलब्ध करायी गयी है जो संलग्न है।
18	The forest land shall not be used for any purpose other than that specified in the project proposal.	विन्दु संख्या-18 के अनुपालन में वाचक विभाग अधिशासी अभियन्ता, मधुरा-वृक्षारोप विकास प्राधिकरण, मधुरा के द्वारा अनुपालन आख्या संलग्नक-18 के माध्यम से उपलब्ध करायी गयी है जो संलग्न है।
19	The forest land proposed to be diverted shall under no circumstances be transferred in any other agencies, department or person without prior approval of govt. of India.	विन्दु संख्या-19 के अनुपालन में वाचक विभाग अधिशासी अभियन्ता, मधुरा-वृक्षारोप विकास प्राधिकरण, मधुरा के द्वारा अनुपालन आख्या संलग्नक-19 के माध्यम से उपलब्ध करायी गयी है जो संलग्न है।
20	The KML file of the area to be diverted, the CA area, the proposed SME work, the proposed catchment Area Treatment Area and the WLMP area shall be uploaded on the e-green watch portal with all requisite details before commencement of work.	विन्दु संख्या-20 के अनुपालन में वाचक विभाग अधिशासी अभियन्ता, मधुरा-वृक्षारोप विकास प्राधिकरण, मधुरा के द्वारा अनुपालन आख्या संलग्नक-20 के माध्यम से उपलब्ध करायी गयी है जो संलग्न है।
21	Violation of any of this condition will amount to Violation of Forest (Conservation) Act 1980 and action would be taken as per the MOEF&CC Guideline F.No.11-42/2013-FC, date 29/01/2018.	विन्दु संख्या-21 के अनुपालन में वाचक विभाग अधिशासी अभियन्ता, मधुरा-वृक्षारोप विकास प्राधिकरण, मधुरा के द्वारा अनुपालन आख्या संलग्नक-21 के माध्यम से उपलब्ध करायी गयी है जो संलग्न है।
22	Any other condition that the Ministry of environment, Forest & Climate Change may stipulate from time to time in the interest of conservation protection and development of forest & wildlife.	विन्दु संख्या-22 के अनुपालन में वाचक विभाग अधिशासी अभियन्ता, मधुरा-वृक्षारोप विकास प्राधिकरण, मधुरा के द्वारा अनुपालन आख्या संलग्नक-22 के माध्यम से उपलब्ध करायी गयी है जो संलग्न है।

